राज्य सलाहकार समिति की बैठक
दिनांक 22.10.2019
कार्यवाही विवरण

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 के अंतर्गत गठित राज्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 22.10.2019 को (दोपहर 3:00 बजे) संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं के सतपुड़ा भवन स्थित सभा कक्ष में, डॉ. ज्योत्सना श्रीवास्तव, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विशेषज्ञ, मेडिकल कॉलेज, भोपाल, (म.प्र.) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नलिखित राज्य सलाहकार समिति के सदस्यगण उपस्थित हुए:-

1. डॉ रेनू चुघ, पैथोलॉजिस्ट, जय प्रकाश चिकित्सालय, भोपाल।
2. श्री संतोष प्रसाद शुक्ल, अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल (म.प्र.)।
3. डॉ. शशी कावड़े, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जय प्रकाश चिकित्सालय, भोपाल।
4. श्री मुकेश मोदी, जन सम्पर्क अधिकारी, जन सम्पर्क विभाग।

इसके अतिरिक्त बैठक में निम्नानुसार अन्य सदस्य सम्मिलित हुए:-

1. डॉ. राजश्री बजाज, उप संचालक (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल (म.प्र.)।
2. श्रीमती स्वाती बी सिंह, राज्य सलाहकार, पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट, भोपाल (म.प्र.)।

1. पूर्व की बैठक दिनांक 28.06.2019 के पालन प्रतिवेदन से निम्नानुसार अवगत कराया गया:-

कमांक		पालन प्रतिवेदन
1	PCPNDT MIS के अंतर्गत grievance redressal हेतु module विकसित किये जाने हेतु पूर्व की बैठक में अभिमत दिया गया था। इस विषय में उचित माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत module विकसित करने का परामर्श दिया गया।	Mponline से संशोधित प्राप्त किये जाने की प्रकिया की जा रही है।
2	इसीं तरह, जिला सलाहकार समिति के नियमानुसार गठन एवं नियमित बैठक के सम्बन्ध में पूर्व की बैठक में दिए गए परामर्श के सम्बन्ध में जारी पत्र से अवगत कराया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा जिला सलाहकार समिति की बैठक में जिले स्तर पर पदस्थ महिला एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सम्मिलित करने हेतु परामर्श दिया गया। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित विभाग i.e महिला एवं बाल विकास विभाग, से इस सम्बन्ध में पत्र प्राप्त करने के उपरांत अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पी.सी.पी.एन.डी.टी. द्वारा जिला कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी को पत्र लिखे जाने हेतु अभिमत दिया गया।	पूर्व में लिखे गए पत्र के सम्बन्ध में आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त होने की स्थिति में स्मरण पत्र भेजे जाने का अभिमत दिया गया।
3	Assisted reproductive technology के PCPNDT Act के अंतर्गत विनियमन हेतु पी.एन.डी.टी. शाखा, (भारत सरकार) से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु	समिति के सदस्यों द्वारा पी.एन. डी.टी. शाखा द्वारा प्रस्तुत Assisted reproductive

1	मत दिया गया।	technology-Do's एंड Dont's की समीक्षा की गयी। अध्यक्ष महोदया द्वारा ड्राफ्ट में पेशेंट्स हेतु कंसेंट फॉर्म एवं स्थानीय भाषा में जानकारी उपलब्ध कराये जाने का अभिमत दिया गया।

2. समिति द्वारा पुरूस्कार योजना के अंतर्गत जिला ग्वालियर से प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गयी। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा जिला समुचित प्राधिकारी एवं कलेक्टर, जिला ग्वालियर से आवेदन के सत्यापन उपरांत आवेदक को पुरस्कृत किये जाने का अभिमत दिया गया।
3. राज्य स्तर पर प्राप्त अपील कमांक 19/03 के सम्बन्ध में समिति द्वारा अपीलार्थी की शैक्षणिक योग्यता की स्टेट मेडिकल काउंसिल से सत्यापन किये जाने का अभिमत दिया गया।
पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन हेतु चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र (6 माह के प्रशिक्षण/01 साल का अनुभव) का सत्यापन अनिवार्यतः जिला समुचित प्राधिकारियों द्वारा राज्य मेडिकल काउंसिल से कराये जाने का अभिमत दिया गया।
4. अगली बैठक जनवरी प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित की गई है।

Shivastav
6.12.19
अध्यक्ष
राज्य सलाहकार समिति
पी.सी.पी.एन.डी.टी.